न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– प्रार्थना पत्र संख्या 245/2018

निर्णय दिनांक :– 3.1.2020

नेमाराम पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी ग्राम बण्डवा तहसील रतनगढ जिला चूरू

...प्रार्थी

बनाम

पृथ्वीसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी बण्डवा तहसील रतनगढ जिला चूरू

...अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री मनोजकुमार ठठेरा, अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 2.11.2018 को प्रस्तुत किया गया।
2. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं गौण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 7 के पिता स्व. चुनाराम की खातेदारी कब्जा काश्त के 08 खेत ख.नं. 23 तादादी 4.7551 हैक्टेयर, ख.नं. 27 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, ख.नं. 28 तादादी 12.2544 हैक्टेयर, ख.नं. 33 तादादी 6.5888 हैक्टेयर, ख.नं. 68 तादादी 4.7298 हैक्टेयर, ख.नं. 87 तादादी 2.1120 हैक्टेयर, ख.नं. 95 तादादी 0.9611 हैक्टेयर, ख.नं. 96 तादादी 0.6323 हैक्टेयर कुल तादादी 32.0841 हैक्टेयर वाके रोही बण्डवा तहसील रतनगढ में स्थित थे। चुनाराम के देहान्त के बाद समस्त 8 खसरों की भूमि की खातेदारी प्रार्थी एवं गौणप्रतिवादीगण चन्द्राराम, लिछमणराम, चम्पाराम, आशाराम व चंदादेवी के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

546 दिनांक 25.1.07 के आधार पर विरासतन दर्ज होकर चली आ रही है। वादगत भूमि में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा अविभाजित भूमि करीब 21 बीघा 03 विश्वा आती है। प्रार्थी ने मौके पर पक्की ढाणी, टयूव वेल, कुण्ड बना रखी है।

3. प्रार्थी ने प्रतिवादीनी पेमादेवी को अस्थाई प्रा.पत्र संख्या 09/2009 में निर्णय दिनांक 25.03.11 के द्वारा न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया हुआ है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत एक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा.पत्र सं. 22/2011 में भगवानाराम प्रतिवादी को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा न्यायालय से वर्जित किया हुआ है।

4. अप्रार्थी का वादगत खेतों से कोई संबंध व सरोकार व लेनादेना नही है। अप्रार्थी प्रार्थी के पूर्वी ओर का पड़ौसी है और अप्रार्थी ने दिनांक 13.10.2018 को प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि वोह बाड़, पट्टियां, तारबंदी को उखाड़कर फेंक देगा। खेत से फसल उठा कर ले जायेगा व नाजायज रूप से प्रार्थी के खेत पर कब्जा कर लेगें। प्रार्थी ने अप्रार्थी को समझाया परन्तु वोह मानने से स्पष्ट ईन्कार हो गया। इसलिए अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 के इस दोषपूर्ण कार्य को रोकने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वोह प्रार्थी के कुल 8 खसरों की भूमि जो अविभाजित, पैतृक, संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त में किसी प्रकार से प्रवेश नही करें तथा ख.नं. 23 की 8 बीघा भूमि में खड़ी फसल को नुकसान नही पहुंचायें।

5. अप्रार्थी बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नही हुआ, इसलिए उसके विरूद्व ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का भलीभातिं अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से वादगत खेत ख.नं. 23 तादादी 4.7551 हैक्टेयर, ख.नं. 27 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, ख.नं. 28 तादादी 12.2544 हैक्टेयर, ख.नं. 33 तादादी 6.5888 हैक्टेयर, ख.नं. 68 तादादी 4.7298 हैक्टेयर, ख.नं. 87 तादादी 2.1120 हैक्टेयर, ख.नं. 95 तादादी 0.9611 हैक्टेयर, ख.नं. 96 तादादी 0.6323 हैक्टेयर कुल तादादी 32.0841 हैक्टेयर वाके रोही बण्डवा तहसील रतनगढ में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में अकिंत है। प्रार्थी एवं गौण प्रतिवादीगण वादगत भूमि के संयुक्त खातेदार है। अप्रार्थी उनका पूर्वी ओर का

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

पड़ौसी है तथा अप्रार्थी द्वारा उसके कब्जा काश्त व कृषि कार्यो में बाधा उत्पन्न की जा रही है। अप्रार्थी का वादगत खसरेजात की भूमि से कोई संबध व सरोकार नही है। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित भी नही हुआ है। रेकार्डेड खातेदार के कब्जा काश्त में पड़ौसी द्वारा दखलन्दाजी की जा रही है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी देने से अपूर्तिय क्षति भी प्रार्थी को होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी पृथ्वीसिंह को दावा के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत ख.नं. 23 तादादी 4.7551 हैक्टेयर, ख.नं. 27 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, ख.नं. 28 तादादी 12.2544 हैक्टेयर, ख.नं. 33 तादादी 6.5888 हैक्टेयर, ख.नं. 68 तादादी 4.7298 हैक्टेयर, ख.नं. 87 तादादी 2.1120 हैक्टेयर, ख.नं. 95 तादादी 0.9611 हैक्टेयर, ख.नं. 96 तादादी 0.6323 हैक्टेयर कुल तादादी 32.0841 हैक्टेयर वाके रोही बण्डवा तहसील रतनगढ में नाजायज रूप से प्रवेश कर प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं कृषि कार्यो में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही देवे तथा प्रार्थी की ख.नं. 23 में खड़ी फसल को कोई नुक्सान नही पहुंचाये।

आदेश आज दिनांक 3.1.2020 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 15:14:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: